(15)

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / शा–3 / बजट / 2017 / 11 भोपाल, दिनांक 28/01/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश,

विषय :– बजट आबंटन को केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था में सम्मिलित करने बावत्।

सन्दर्भ :– म.प्र.शासन, वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 79 / आर 886 / 2010 / ब–1 / चार दि.27.1.17

––:::––

मांग संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, के अन्तर्गत निम्नलिखित योजना शीर्षों को केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली में सम्मिलित किया गया है :–

1. 0096 – अग्नि पीड़ितों को राहत,
2. 0747 – ओला पीड़ितों को राहत,
3. 2018 – नगद दान (बाढ़, चक्रवात आदि)
4. 5504 – आर.बी.सी.6–4 के अन्तर्गत आपदा में आर्थिक सहायता
5. 6097 – सर्पदंश पर आर्थिक सहायता

अतः उक्त संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है :–

1. उपरोक्त केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था केवल जनहानि, पशुहानि एवं अग्नि दुर्घटना (मकान एवं सामग्री क्षति सहित) के प्रकरणों में स्वीकृत राहत राशि के भुगतान के लिए मान्य होगी। उक्त मदों से संबंधित प्रकरणेां में राहत राशि की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जावेगी। कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि राहत राशि की स्वीकृति तथा वितरण शीघ्रता से हो जावे।

2. केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था में सम्मिलित उपरोक्त योजना मदों में फसल क्षति, मकान क्षति एवं अन्य क्षति के प्रकरणों में राहत राशि स्वीकृति के उपरांत क्षति के पत्रक सहित पूर्व की भांति आबंटन की मांग किए जाने पर राहत आयुक्त द्वारा आहरण की अनुमति प्रदान की जावेगी।

3. उपरोक्त मदों के अतिरिक्त अन्य मदों में जिलों से मांग किए जाने पर राहत आयुक्त द्वारा आबंटन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया यथावत रहेगी।

4. वर्षाकाल में बाढ़ में पानी में डूबने से, नाव दुर्घटना से, आकाशीय बिजली से जनहानि/पशुहानि के प्रकरणों में स्वीकृत राहत राशि का भुगतान योजना मद **2018 नगद दान /अनुदान** तथा ओला एवं असामयिक वर्षा के दौरान आकाशीय बिजली से हुई जनहानि/पशुहानि के प्रकरणों में स्वीकृत राहत राशि का भुगतान योजना मद **0747 ओला पीड़ितों को राहत** मद से किया जावेगा।

5. वर्षाकाल के अतिरिक्त बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने, पानी में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यु के प्रकरणों में योजना मद **5504 राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत आपदा में आर्थिक सहायता** मद से भुगतान किया जावेगा।

(अरुण पाण्डेय)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

पृ. क्रमांक/शा-3/बजट/2017/12 भोपाल, दिनांक 28/01/2017

प्रतिलिपि,

1. राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग